



## पंचदश बिहार विधान सभा

### चतुर्दश सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 04.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>1. श्री अरूण शंकर प्रसाद,<br/>संवि०सं०<br/>श्री राम नरेश प्रसाद यादव,<br/>संवि०सं०<br/>श्री गोपालजी ठाकुर,<br/>संवि०सं०<br/>श्री रामायण मांझी,<br/>संवि०सं०<br/>श्री विभाषचन्द्र चौधरी,<br/>संवि०सं०</p> | <p>“देश भर में धानों को एक दूसरे से जोड़ने की बहुप्रतीक्षित योजना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम (सी०सी०टी०एन०एस) प्रोजेक्ट का काम देखने वाली कम्पनियों की गड़बड़ी के कारण इस राज्य में ठप्प हो गयी है। इस योजना के तहत सात जून 2011 को प्रोजेक्ट के कम्पनी चयन के लिए बेलट्रान ने टेंडर निकाला था। टेंडर के बाद धानों को जोड़ने का काम वैमटेक और आई०टी०आई० कम्पनी को सौंपा गया था। इसके लिए 18 अक्टूबर 2012 में कान्ट्रैक्ट साइन प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में पटना और भागलपुर जिले के सभी धानों और पुलिस कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ा जाना था। लेकिन अबतक पहले चरण में संसाधनों को जुटाने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। राज्य में कुल 1279 साइट पर काम किया जाना था परन्तु अभी तक 275 साइटों पर ही संसाधनों के खरीद का काम किया जा सका है।</p> | <p>गृह<br/>(आरक्षी)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

अतः उक्त महत्वाकांक्षी योजना को शीघ्र पूरा कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

1	2	3	4
2.	<p>श्री सदानन्द सिंह, संविंसं श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, संविंसं श्री मंजीत कुमार सिंह, संविंसं श्री अवधेश कुमार राय, संविंसं श्री मो० तौसीफ आलम, संविंसं</p>	<p>“N.H. 80 पर भागलपुर जिलान्तर्गत भैना पुल एवं चम्पानाला पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2009 से प्रारम्भ हुआ था, जिसे वर्ष 2011-12 तक पूर्ण करना था। उसी तरह घोरघट के पास बन रहे पुल वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ होकर अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ N.H. 80 के त्रिमूहान से लेकर शिवनारायणपुर तक लगभग 13 किलोमीटर सड़क वृहद गड्ढे के रूप में तब्दील हो गया है। आवागमन पूर्णतया अवरूद्ध होने की स्थिति में है।</p> <p>भैना पुल जो स्क्रू पाईप से पचासों वर्ष पूर्व से बना हुआ था, उसमें दिनांक 02.07.2014 को कई जगह लोहे के गाटरों में दरार आ गया है। प्रशासन द्वारा बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गयी है।</p> <p>अतएव उक्त महत्वपूर्ण पथ एवं उपर्युक्त तीनों पुलों के निर्माण में हो रहे विलम्ब की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”</p>	<p>पथ निर्माण</p>

हरराम मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/14- 966 / विंसं, पटना, दिनांक- 03 जुलाई, 2014 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/14- 966 / विंसं, पटना, दिनांक- 03 जुलाई, 2014 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

